



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240203
CG-DL-E-11112022-240203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5029]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 5029]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

का.आ. 5248(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा (1) के साथ पठित काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला, के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280क और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उनके क्षेत्राधिकार वाले विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित न्यायालयों को हिमाचल प्रदेश राज्य में विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है, अर्थात:-

सारणी

क्रम.सं.	न्यायालय	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायालय, न्यायालय सं. 1, धर्मशाला	ऊना, चंबा, कांगड़ा

2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायालय, न्यायालय सं. 1, रामपुर	कुल्लू, मंडी, सोलन, किन्नौर
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायालय, न्यायालय सं. 1, नाहन	बिलासपुर और सिरमौर

[फा. सं. 285/36/2019-आईटी (अन्वेषण-V), सी.बी.डी.टी./तारीख 11/11/2022 की अधिसूचना संख्या 120/2022]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वेषण), सी.बी.डी.टी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

(INVESTIGATION DIVISION-V)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

S.O. 5248(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, Shimla, hereby designates the Courts in the State of Himachal Pradesh as mentioned in column (2) of the Table below, as Special Courts for the areas within their territorial jurisdiction as specified in column (3) of the said Table for the purposes of section 280A of the Income-tax Act, 1961 and section 84 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, namely:-

TABLE

Serial Number	Court	Area
(1)	(2)	(3)
1.	Court of Judicial Magistrate 1st Class, Court No. 1, Dharamshala.	Una, Chamba, Kangra
2	Court of Judicial Magistrate 1st Class, Court No. 1, Rampur.	Kullu, Mandi, Solan, Kinnaur
3	Court of Judicial Magistrate 1st Class, Court No. 1, Nahan.	Bilaspur and Sirmaur

[F. No.285/36/2019-IT(Inv.V) CBDT/Notification No. 120/2022 dated 11/11/2022]

DEEPAK TIWARI, Commissioner of Income Tax (OSD) (INV.), CBDT